

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

क्षेमा समृद्धि

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मैं बीमा के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से क्षेमा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2. मैं क्षेमा ऐप कैसे डाउनलोड करूँ?
यदि आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर पर जाएं, "क्षेमा ऐप" टाइप करें, चुनें और इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करें। ऐप पर पंजीकरण करें।
3. इस नीति के तहत कौन से खतरे शामिल हैं?
नीचे सूचीबद्ध खतरों के कारण बीमित फसल को नुकसान या क्षति:
 - a) चक्रवात नाम दिया गया
 - b) भूकंप
 - c) बाढ़
 - d) जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं)
 - e) भूस्खलन
 - f) बिजली गिरने से लगी आग
4. इस पॉलिसी के तहत बीमित राशि का निर्धारण/निर्धारण कैसे किया जाता है?
बीमित राशि संबंधित जिले के एस. एल. टी. सी. द्वारा निर्धारित खेती की लागत के बराबर है या हमारे आंतरिक अनुमान. द. के आधार पर बीमित राशि फसल, स्थान और फसल के आधार पर भिन्न होती है।
5. इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम कैसे लिया जाता है?
पॉलिसी पर देय प्रीमियम फसल, अवधि और स्थान पर निर्भर करेगा।
इस पॉलिसी के तहत न्यूनतम प्रीमियम Rs.199-(केवल एक सौ नब्बे-नौ रुपये) (जीएसटी सहित) है।
6. जोखिम/कवरेज कब शुरू होता है?
पॉलिसी की शुरुआत बुवाई या प्रीमियम की प्राप्ति के अगले दिन से होती है, जो भी बाद में हो।
7. क्षेमा समृद्धि पॉलिसी खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम दस्तावेज कौन से हैं?
क्षेमा आवेदन में नामांकन, प्रस्ताव प्रपत्र जमा करना, फार्म पॉलीगॉन पर कब्जा करना, भूमि रिकॉर्ड जमा करना, यदि किरायेदार किसान है तो किरायेदारी प्रमाण पत्र, केवाईसी और किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर आवश्यकता के अनुसार
8. क्या इस उत्पाद के लिए कोई ऐड ऑन कवर उपलब्ध है?
नहीं, इस नीति के लिए कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं है।
9. दावे के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि कोई दुर्घटना होती है, तो आपको हमारी 24 घंटे की ग्राहक सेवा को 1800 572 3013 पर कॉल करके तुरंत हमें सूचित करना चाहिए या आप हमें customer.support@kshema.co पर ईमेल कर सकते हैं, सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं।
10. क्या इस पॉलिसी में कोई लॉयल्टी बोनस या कोई दावा छूट नहीं है?
नहीं, इस नीति के तहत कोई वफादारी बोनस और कोई दावा छूट लागू नहीं है।

11. मुझे बुवाई प्रमाण पत्र कहाँ से मिल सकता है?
आपके क्षेत्र के कृषि विभाग के सरकारी अधिकारी बुवाई प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
12. हानि का आकलन कैसे किया जाता है?
रिमोट सेंसिंग तकनीक और उपग्रह इमेजरी के माध्यम से नुकसान का आकलन किया जाता है। विशेष मामलों में ऑन-साइट मूल्यांकन भी किया जाता है।
13. क्या इस उत्पाद के लिए कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध है?
नहीं, इस उत्पाद के लिए कोई अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं है।
14. क्षेमा समृद्धि नीति के तहत पॉलिसी को कब समाप्त माना जाएगा?
नीति निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाएगी:
 - फसल की कटाई
 - बीमाकृत घटना के कारण फसल का विनाश
 - बीमित पूर्ण राशि का भुगतान
 - पूरे बीमित क्षेत्र के लिए नुकसान या क्षति माना जाता है।
15. दावा करने के लिए मुझे कौन सा दस्तावेज़ या सबूत जमा करना होगा?
अपनी पॉलिसी के विवरण का उल्लेख करें और नुकसान का प्रमाण (फोटो/वीडियो) अपलोड करें जो प्रभावित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दिखाता है।
16. क्या मैं अपनी पॉलिसी रद्द कर सकता हूँ?
हां, आप लिखित रूप में या क्षेमा आवेदन के माध्यम से हमें सूचित करके किसी भी समय अपनी नीति को रद्द कर सकते हैं। जब हम आपकी सूचना प्राप्त करेंगे तो नीति समाप्त हो जाएगी।